न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15 / 2019 (उदयपुर आर्डर)

1. कैलाशचन्द्र पिता नाथू जी तेली, निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. रामलाल पिता नाथू जी तेली, निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रोडा पिता परथा जी डांगी, निवासी ओडवाडिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. भूमिधारी, जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 05.08.2019 प्र॰सं॰ 216 / 18

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री पुष्कर लोहार अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक रेस्पो.सं. 1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 16–03–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व सरकार के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम ओडवाडिया में वादी के खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी नंबर 1285 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रार्थी ने हीरा पिता कसना जी तेली से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15–06–1983 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त आराजी पर आने–जाने

का रास्ता आराजी नंबर 1285 के दक्षिण दिशा में पगडण्डी से है जो करीब 3 फिट चौडा जो काफी सड़का होकर काफी लम्बा है, जिससे टैक्टर, बैलगाड़ी आदि लाने ले जाने में काफी कठिनाई होती है, इस कारण कथित विक्रय पत्र में विपक्षीगण की आराजी नंबर 1290 के उत्तरी हिस्से से आने–जाने का उल्लेख किया गया है, जो करीब 12 फिट चौड़ा होकर रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा है, किन्तु विपक्षीगण उक्त रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः प्रार्थी को विपक्षीगण की आराजी नंबर 1290 के उत्तरी हिस्से में करीब 12 फिट चौडा दिलाया जावे।

विपक्षीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी रास्ते पर ही है एवं प्रार्थी क्लीन हैण्ड से नहीं आया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर एवं उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 05–08–2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01–10–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री तुलसीराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि रेस्पोन्डेन्ट की खातेदारी की आराजी में आने जाने का रास्ता पहले से ही मौजूद है फिर भी रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि से रास्ते की मांग की है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने सारी स्थिति को समझे बिना अपीलान्ट के हक व हितों के विपरीत निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर कीमतन रास्ता दिये जाने का जो

आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट की भूमि पर आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण विपक्षीगण/अपीलान्टगण की आराजी नंबर 1290 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि में कीमतन रास्ता प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट को दिये जाने का आदेश दिया है, वह प्रस्तुत नक्शा ट्रेस एवं मौका पर्चा अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05–08–2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–03–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.23 12:48:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: